न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 104 / 2019

1 सरबती पत्नी माणकचन्द
2 राधेश्याम पुत्र माणकचन्द
3 बिड़दीचन्द पुत्र माणकचन्द
4 राजेन्द्र पुत्र माणकचन्द
5 बाबुलाल पुत्र माणकचन्द
6 भंवरलाल पुत्र माणकचन्द
7 रोहिताश पुत्र माणकचन्द जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
8 संतरा पत्नी श्रीराम
9 अनिल पुत्र श्रीराम
10 लक्ष्मी पुत्री श्रीराम
11 ममता पुत्री श्रीराम जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
12 नौरंगराम पुत्र कल्लुराम
13 हरिश पुत्र कल्लुराम
14 रामनिवास पुत्र कल्लुराम
15 विश्वनाथ पुत्र कल्लुराम जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
16 लक्ष्मी पत्नी राजेश जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
17 ललित पुत्र राजेश
18 महेन्द्र पुत्र राजेश
19 सोना पुत्री राजेश नाबालिग जरिये वलिया माता कुदरती लक्ष्मी पत्नी राजेश जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 कैलाश पुत्र कल्लुराम जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सीताराम पुत्र मूलाराम
2 सांवरमल पुत्र मूलाराम
3 मातादीन पुत्र मूलाराम
समस्त जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टेर खेतड़ी उनवानी मुकदमा सरबती आदि बनाम सीताराम आदि मु.नं. 123/2018 दावा बाबत घोषणार्थ निर्णय दिनांक 19.08.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 123/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण/अपीलांटस ने एक वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 2921, 3389, 3390, 3429/3386 वाके ग्राम खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 3389 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 3390 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3429/3386 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके सरहद खेतड़ी में स्थित है जो अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 के टिनेन्सी की भूमि है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 का मूल पुरूष लादूराम था। लादूराम के तीन लड़के मूला, माणकचन्द व कल्लू हुए जिनका देहान्त हो चुका है। मूलाराम के वारिसान रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 है तथा माणकचन्द व कल्लुराम के वारिसान अपीलान्टस है। विवादित भूमि पैत्रिक सम्पति है जो पहले लादूराम की टिनेन्सी की भूमि थी लादूराम की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान मूला, माणकचन्द व कल्लु इस भूमि के संयुक्त रूप से टिनेन्ट हुए तथा संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उक्त भूमि को काश्त करते थे जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। ग्रामीण परिवेश विशेषकर झुन्झुनू जिले में कर्ता खानदान अकेले के नाम से ही कृषि भूमि का इन्द्राज तत्कालिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर दिया जाता था इसी कम मे मूला कर्ता खानदान व बड़ा होने के कारण तथा घर का सारा हिसाब किताब उसके द्वारा रखे जाने के कारण जो राजस्व रिकार्ड बना उसमे नाम अकेले मूला का दर्ज हो गया जबकि उक्त भूमि के उपर वर्णित तीनों भाई बहिस्सा बराबर टिनेन्ट थे व शामिल में ही काश्त करते थे। इस कथन को इससे भी बल मिलता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अपीलान्टस के दावे को जवाब दावा के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार विवादित भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस की कोटिनेन्सी की भूमि है इस तथ्य को अपीलान्टस ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य बखुबी साबित किया है। इसके बावजुद भी विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि को बिना किसी आधार के अपीलान्टस की टिनेन्सी की भूमि नहीं मानकर दावा खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। स्वीकारोक्ति के आधार पर वादीगण का दावा साबित माना जाता है इस प्रकरण में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलान्टस के दावा को विचारण न्यायालय में अक्षरशः स्वीकार किया गया है ऐसी परिस्थिति में अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जाती है व दावा प्रमाणित माना जाता है। लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा भी अपीलान्टस के दावे को डिक्री किया जाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति विचारण न्यायालय में नहीं की इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पूर्णतया साबित हो जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस का दावा खारिज करेन में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दावा स्वीकार करने के लिए सहमति रही है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना वाद वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

12.8.24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर